International Journal of Applied Research 2020; 6(7): 73-75

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(7): 73-75
www.allresearchjournal.com
Received: 06-05-2020
Accepted: 09-06-2020

डॉ. कुमारी रेखा
सहायक प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग, विशेश्वर दयाल महिला कॉलेज, छपराए बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. कुमारी रेखा
सहायक प्राध्यापक, गृहविज्ञान विभाग, विशेश्वर दयाल महिला कॉलेज, छपराए बिहार, भारत

महिलाओं के प्रति बढ़ते घरेलु हिंसा का बच्चों के विकास पर प्रभाव

डॉ. कुमारी रेखा

सारांश
किसी भी व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियां और वातावरण इतने सुखद नही होते हैं कि वे व्यक्ति की आवश्यकता के अनुकूल हो, उसे वातावरण को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने के लिये संघर्ष करना पड़ता है। सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सहयोग देने तथा लेने से जीवन का आनन्द मिलता है, यदि व्यक्ति घरेलू हिंसा तथा पारिवारिक क्लेश नही चाहता है, तो उसे अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने का प्रयत्न करना चाहिये। माता–पिता को चाहिए की आपस के क्लेश को दूर किया जाय। जिससे की बच्चों के विकास पर प्रभाव न पड़े।

भूमिका

भारत में घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण विवाह की असफलता होता है आज का युग व्यस्तता का है जो पति–पत्नी के बीच समायोजन का असन्तुलित कर रहा है। विवाह एक व्यक्ति के रूप में सुरक्षित, संरक्षित, सन्तुष्टि के लिये, साहचर्य स्नेह और यौन अभिव्यक्ति के लिये तथा आपसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक अवसर प्रदान करता है। इसमें दो व्यक्तियों के बीच भावात्मक सम्बन्ध सबसे अधिक शामिल होता है। कई शादियाँ विफल होती हैं, क्योंकि दोनों भागीदार, आपसी स्वीकृति, विश्वास, चिन्ता, प्रेम, प्रशंसा और जिम्मेदारियों को बॉटने की विशेशताओं को विकसित करने में असफल हो जाते हैं। अपने शोध के आधार पर बताया कि, पुरूष या उसके पारिवारिक सदस्यों का कामकाजी स्त्री के प्रति अत्यन्त नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। स्त्री के प्रति दोनों का यह दृष्टिकोण रहता है कि वह घर गृहस्थी के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए भी बाहरी उत्तरदायित्वों जेसे नौकरी आदि का भी निर्वाह करें। प्रायः कामकाजी महिलाओं से पुरूष व उसके ससुराल वाले अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं इस प्रकार स्त्री के भविश्य (कैरियर) और उसकी निजी जिन्दगी के बीच तनाब उत्पन्न होने लगता है। परिणाम स्वरूप घरेलू क्लेह उत्पन्न होने लगती है। घरेलू हिंसा प्रकरण यादृच्छिक कृत्य या केवल गुस्से की घटना नहीं है, इसका स्वरूप जटिल है, यह एक ऐसा सतत व्यवहार होता है जिसमें हिंसा का गतिशील स्वरूप होता है, इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को सम्बन्धों में पीड़ित के साथ शामिल किया गया है। हिंसा को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है– सामान्य हिंसा तथा दुरूपयोग हिंसा। बच्चों के सामने पति–पत्नी को बातचीत में थप्पड़ मारना, धक्का देना, पिटाई करना, बाहर करना आदि सामान्य हिंसा होती है, जबकि घूंसे मारना, लात मारना, काटना, गोली मारना, छुरी से प्रहार करना आदि दुर्व्यवहार हिंसा होती है, इस तथ्य की पुष्टि की है कि पुरूषों द्वारा प्रत्यक्ष आक्रामकता के विभिन्न प्रकार जैस– धक्का देना, थप्पड़ मारना, गाली देना, चिल्लाना, कोई चीजैंक कर मारना आदि अधिक दिखायाा जाता है जबकि महिलाओं द्वारा अप्रत्यक्ष आक्रामकता अधिक दिखायी जाती है। भारतीय महिलाओं के वैवाहिक जीवन में समायोजन तथा परिवार में उनकी विभिन्न भूमिकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। अपने इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि पति–पत्नी की प्राथमिकताओं में यदि विरोध हो तो उनके वैवाहिक जीवन में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है। यह विरोध एक के कार्य का दूसरे की आशाओ ं के अनुरूप न होने पर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वेइस इत्यादि (2000) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रत्येक वर्ष लाखों महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रभावित होती है। अपने अध्ययन में कामकाजी महिलाओं एवं पुरूषों के वैवाहिक जीवन में सामंजस्य के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तरों का विशलेषण किया और उसमें अलग–अलग तरह के परिणाम पाये कि घर तथा बाहर दोनों जगह काम करने वाली महिलाओं में जिम्मेदारियां अधिक थीं जिससे वे मानसिक रूप से परेशान रहती थी। घरेलू जिम्मेदारियों को निभाना भारतीय महिलाओं में एक पवित्र कार्य माना जाता है उपरोक्त वार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के प्रति पुरूषों की सकारात्मक सोच का होना अति आवश्यक है इसलिये पुरूषों की मानसिकता को भी बदलने का प्रयास किया जाना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ताजा रिपोर्ट में 175 देशों के बीच मानव विकास के मामले में भारत को 127 वां स्थान मिला है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक निर्धारित करता है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की 70 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में कभी न कभी घरेलू हिंसा का अवश्य शिकार होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (2011) के अनुसार महिलाओं के प्रति हुए 4,489 अपराधिक मामले देश में दर्ज हुए जिसमें घरेलू हिंसा के मामले 5.3 प्रतिशत की दर से लगातार बढ़ते जा रहे है, जिसमें प्रत्येक महिला के खिलाफ अपराध हर तीन मिनट में होता है तथा महिलाओं के साथ होने वाले अपराध प्रतिवर्ष दो लाख से भी ज्यादा हैं।

अन्य प्रकार के अपराध महिलाओं के खिलाफ देखे जाते हैं जेसे– घरेलू हिंसा, इस का सबसे बर्बर रूप पत्नी का पति द्वारा पीटा जाना है तथा छोटी–छोटी बातों के लिये अपनी पत्नी पर तानाशाही दिखाना है। यह आंकड़े इस बात की पुश्टि करते हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यौन उत्पीड़न के 8570 रिश्तेदारों की क्रूरता 99135 तथा दहेज हत्या के 8618 मामले दर्ज किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग एवं लायर्स क्लेक्टिव (2012) नामक संस्था ने एक सर्वे करवाया जिसके अनुसार कोई भी ऐसा राज्य नही है कि जहॉ घरेलू हिंसा से सम्बन्धि तमामले दर्ज नहीं किये गये हों। घरेलू हि ंसा के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3712 मामले दर्ज हैं। इस अध्ययन के अनुसार पढ़ी लिखी आधुनिक कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा घरेलू महिलाओं का अधिक शोशण का शिकार होना पड़ता है।

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित घटनाओं में वर्ष 2013 में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इस अध्ययन के अनुसार 25 वर्ष से कम उम्र की पत्नियां पति से उत्पीड़न का अधिक शिकार होती है। न्यून आय वाले परिवारों में स्त्रियों को पीटने की सम्भावना अधिक होती है। पत्नी को पीटने का महत्वपूर्ण कारण होता है, यौन सम्बन्धी असमायोजन, भावनात्मक गडबड़ी, पति का झूठा अहम या हीन भावाना, पति का श्राबी होना, ईश्या, पत्नी की कथित निश्क्रियता, पर पुरूष सम्बन्ध का शक आदि। अशिक्षित पत्नियों को शिक्षित पतियों की तुलना में पीटने की सम्भावना अधिक होती है। (क्रोनिकल पत्रिका –2014)

पारिवारिक परिस्थितियों का बच्चों पर प्रभाव

बच्चे के व्यक्तित्व पर उसके परिवार का गहरा प्रभाव पड़ता हैं, जो बच्चे, तिरस्कृत, अतिसुरक्षात्मक, दब्बू, आक्रमणशील, दुःखी, जद्दी, ईर्ष्यालु तथा अपराधिक वातावरण में रहते है उन्हें समायोजन करने में असफलता मिलती है। परन्तु शन्त, प्रसन्न, मैत्रीपूर्ण व अनुकूल नियमों वाले वातावरण में रहने वाले बच्चे स्वतन्त्रता का अनुभव करते है एवं सहयोगी, सामाजिक रूप से स्वीकार्य, आत्म विश्वासी व जिम्मेदार होते है तथा उनका समायोजन भी अच्छा होता है।

परिवार ही बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक तन्त्र है। परिवार वह संस्था है जो बालक को जन्म देती है, पालन पोशण करती है तथा उसको समाज में रहने योग्य प्राणी बनाती है परिवार सम्बन्धों पर नियन्त्रण कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। परिवार बच्चे को भावनात्मक घनिष्ठता का वातारण प्रदान कर समुचित लालन–पालन एवं सामाजिकरण में सहयोग देता है। माता की गोद में ही बच्चे का स्कूल प्रारम्भ होता है। फ्रोबल के किण्डर गार्टन तथा मान्टेसरी के बालगृह में परिवार जेसा वातावरण होता है तथा माता समान स्त्रियां ही शिक्षिका होती है।

रिचूर और मार्टिन्ज (1993) के अध्ययन के परिणाम की रिपोर्ट के अनुसार 20 प्रतिशत बच्चे घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं तथा 61 प्रतिशत बच्चे घरेलू हिंसा के साक्षी होते है। जिसका प्रभाव उनके कोमल मन पर बहुत गहरा पड़ता है। उनमें विकासात्मक समस्याएं बढ़ जाती हैं जिसका प्रभाव उनके शरीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास पर पड़ता है। अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि अभिभावकों का धनात्मक व्यवहार बच्चों के जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में समायोजन करने में सहायक होता है। समायोजित व्यक्ति वही है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत साधनों द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं एवं चुनौतियों का सामना करता है। समायोजन प्रत्येक मनुश्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, समायोजन जीवन के आनन्द की कुन्जी है यह शैशवास्था ले लेकर वृद्धावस्था तक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

हर साल तीन लाख बच्चे परिवार के सदस्यों द्वारा अपनी मां या महिला रखवाले के खिलाफ हिंसा को देखते हैं तथा जब एक बच्चा पिता को अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखता है तो यह व्यवहार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तकैुलने का मुख्य कारण होता है। जिन घरों में साथी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उनमें बच्चो ं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है तो उनमें बच्चो ं के साथ भी दुर्व्यवहार करने की सम्भावना बढ़ जाती हैं।

वैलाक (1998) ने अपने अध्ययन में इस बात को स्पष्ट किया कि बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर हिंसा का प्रभाव नकारात्मक पड़ता हैं जिससे उसे कुसमायोजन का शिकार होना पड़ता हैं। इसी प्रकार क्लेइन (1999) ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत घरेलू हिंसक घटनाओं में बच्चे भी उपस्थित होते हैं तथा बच्चे भी हिंसक घटनाओं के दौरान दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं और वे भी हिंसा करना सीख जाते है। हिंसा बच्चों के विकास के लिये प्रतिकूल परिणामों के साथ जुड़ी हुई है। येल चाइल्ड स्टडी, (2001) के अध्ययन में करीब चार लाख बच्चे गम्भीर उत्पीड़न के शिकार पाये गये। घरेलू हिंसा के शिकार युवाओं को स्कूल में अपने शिक्षकों एवं शैक्षिक निश्पादन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, नेशलन काउन्सिल क्राइम डेलीक्वेन्सी, (2002)।

एण्डरसन इत्यादि (2003) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे व्यक्ति अच्छे सामाजिक सम्बन्ध नहीं रख सकते हैं जो अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अध्ययन में पाया कि घरेलू हिंसा का प्रभाव बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर नकारात्मक पड़ता है, जिससे बच्चा दुर्व्यवहार करने लगता है। घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों में कई संकेत प्रकट होने लगते है जेसे– दैहिक और शारीरिक संकेत, निशान, घाव, काटना, खरोंचना, नींद में विकार आना, उपेक्षा करना, गन्दा रहना, तथा शारीरिक भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास में विलम्ब भावात्मक संकेतों में घबराहट, चिन्ता, ईर्श्या, चिड़चिडापन, सन्देह, निगरानी, अलगाव, दुश्मनी की भावान, प्रेरणा की कमी, थकान का अनुभव भूख और सहनशीलता की कमी तथा मूड में तीव्र उतार चढ़ाव, व्यवहारात्मक संकेत जेसे– आलस्य अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, जल्दी और देर से स्कूल आने जाने की आदत, घर लौटने का डर, जल्दी यौन व्यवहार की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, लगातार झगड़े और आक्रमण करना तर्क करना आदि। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है जेसे सामाजिक कौशल में कमी, अस्वीकृति, सहानुभूति व्यवहार में कमी आदि।

माता–पिता के व्यवहार का स्पष्ट प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ता है, कुछ माता–पिता बच्चों की देखभाल करने में अधिक समय देते है तथा उनके लिये उदारता का भाव रखते है तथा कुछ माता–पिता बच्चों की देखरेख करने में उतनी अभिरूचि नहीं दिखाते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं। इस तरह से लालन–पालन वाले बच्चों का व्यक्तित्व पहली तरह के पलने वाले बच्चों के व्यक्तित्व से सर्वथा भिन्न होता है, इस तरह से पालन वाले बच्चे हिंसक, आक्रामक तथा झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे सन्देहशील एवं अविश्वासी भी होते हैं।

यदि कुण्ठा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में आक्रामकता से बच्चों को अपने साथियों की प्रशंसा मिलती है तो वह आक्रामक व्यवहार को दोहराता है यह उसके समायोजन का तरीका बन जाता है। निम्न पारिवारों के बच्चों में आक्रामक व्यवहार को दोहराता है यह उसके समायोजन का तरीका बन जाता है। निम्न परिवारों के बच्चों में आक्रामकता का विशेश प्रकार पाया जाता है। धनी परिवार में आक्रामकता को संवेगात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, (गोल्डस्टिन, 1975)।

माता–पिता द्वारा स्वीकृत बच्चे सबद्धता, परिवर्तन एवं आवश्यकताओं में भिन्न थे यह विभिन्नता कुण्ठा की सभी प्रतिक्रियाओं में दिखायी पड़ी। एलैसेन्डरी (1991) ने अपने शोध में स्पष्ट किया कि बचपन में हिंसात्मक व्यवहार देखने से वृद्धावस्था में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तात्कालिक प्रभावों में साथियों के साथ आक्रामकता, गुस्से को क्रियात्मक रूप से प्रकट करना एवं आत्म विनाशकारी व्यवहार है। लिओनर्ड इत्यादि (1992) के शब्दों मे ं यदि लड़कों का लड़कियों की तरह पालन किया जाये तो वह भी दया, सकारात्मक कोमल भाव, संवेदनशीलता को विकसित कर सकते हैं, जो आक्रामकता को कम करता है।

जिन बच्चों के माता–पिता तलाकशुदा होते हैं उनमें 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत आक्रामकता बढ़ती है। बच्चे के व्यक्तिगत विकास पर हिंसा का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। आक्रामकता पर व्यक्ति के लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः पुरूषों द्वारा महिलाओ ं की तुलना में अधिक आक्रमक व्यवहार दिखाया जाता है। इस तथ्य की पुश्टि कई लोगों ने जिसमें हार्रिस, (1994) तथा बोगार्ड (1990) मुख्य है, अपने अध्ययन में की है।

निष्कर्ष

अतः माता–पिता के प्यार से निखरता बच्चे का व्यक्तित्व अच्छे संस्कारों से विकसित चरित्र दर्शाता है और दिखाता है कि उसकी परवरिश कितनी मजबूत है लेकिन घरेलू हिंसा के कारण माता–पिता अपने बच्चे की अनदेखी कर उसे अपने प्रेम से वंछित कर देते हैं जिससे बच्चे के जीवन पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ता है। आजकल के बच्चों में धैर्य की कमी है वे जल्द आवेश में आ

जाते है और जब वे घर में हिंसा को देखते है तो उनकी आक्रामकता का स्तर अपने आपसी झगड़ों का हिस्सा बना लेते है जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः माता पिता को चाहिए की आपसी झंझटों को बच्चों से दूर रखें जिससे की बच्चों का समूचित विकास हो सके।

संदर्भ सूची

1. डॉ0 गुप्ता चन्द्र सुभाश एंव डॉ0 सक्सेना अल्का परिवारिक प्रताड़ना एंव महिलाएं राधा पब्लिकेशन्स 4231/1 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002।
2. घरेलू हिंसा क्रोनिकल मासिक पत्रिका 2014
3. मुखर्जी एंव नाथ, सामाजिक सर्वेक्षण व शोध, सरस्वती सदन, दिल्ली, सामाजिक शोध एवं सांख्यकीय।
4. गृह लक्ष्मी, मई 2013 दिक्षित, एम0 2003
5. सरिता (पत्रिका) जुलाई 2013 सरिता पत्रिका नवम्बर (द्वितीय) 2013
6. अन्यवाल के. वयस्क पतियों की तन्हा बीबियॉ, मेरी सहेली 2006